न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सरमथुरा जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारीः- श्री मौहम्मद ताहिर आर.ए.एस.

उनवान

रामदेई वगैरा बनाम लक्ष्मनप्रसाद वगैरा

1. रामदेई पत्नि लालपति जाति मीना निवासी कसारियापुरा बडापुरा तहसील सरमथुरा
2. सियाराम पुत्र भौरीलाल
3. भाईराम पुत्र भौरीलाल जाति मीना निवासी अमानपुरा तहसील सरमथुरा
4. प्रेमबाई पत्नि हरीपाल जाति मीना निवासी कसारियापुरा बडागांव तहसील सरमथुरा

--वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मनप्रसाद पुत्र कन्हैयालाल जाति वैश्य निवासी पवैनी मोड के पास, सरमथुरा तहसील सरमथुरा
2. प्रबन्धक, बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सरमथुरा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा वहैसियत लैण्ड होल्डर

--प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 89, 188 आर.टी.एक्ट. एवं 369 एल.आर.रूल्स

प्रकरण संख्याः- 20/2017

दिनांकः- 19.6.2018

निर्णय

दावा वादीगण इस प्रकार पेश हुआ कि वादीगण आराजी खसरा नंबर 163 रकबा 3.80 हैक्टेयर ग्राम रहटौटी पटवार मण्डल बीलौनी तहसील सरमथुरा के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/3 तथा वादी संख्या 3 हिस्सा 1/3 तथा वादी संख्या 4 हिस्सा 1/3 के सहखातेदार है तथा संयुक्त रूप से काविज चले आ रहे हैं।

वादग्रस्त आराजी वादीगण की निजी आराजी है जो वादीगण ने करीब 10-15 वर्ष पूर्व तत्कालीन खातेदार से क्रय की थी तथा विक्रेतागण ने अपने स्थान पर वादी क्रेतागण को मौके पर आधिपत्य भी दे दिया था तथा वादीगण वादग्रस्त आराजी को क्रय करने की दिनांक से काविज आराजी हैं। वादीगण गत माह तक शान्तिपूर्वक काविज चले आ रहे थे दिनांक 24.8.17 को वादीगण कृषि कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी से मिले तथा फाइल बनवाने के लिये नकल जमाबन्दी ली तब

पटवारी हल्का ने वादीगण को राजस्व नक्शे में वादग्रस्त आराजी का अवलोकन कराया तब वादीगण की जानकारी में पहली बार यह तथ्य आये कि राजस्व नक्शा जो नवीन बन्दोबस्त सन 2005 में संधारित किया है उसमें वादीगण के गत खसरा नंबर 77/1/1123 रकबा 15-00 बीघध का नयाा नम्बर 163 रकबा 3.80 हैक्टेयर दिया गया है लेकिन राजस्व नक्शे में इस स्थान पर 123 खसरा नंबर अंकित किया हुआ है जो प्रतिवादी सं.1 की खातेदारी में है तथा वादीगण का नया नम्बर अन्यत्र बंजर भूमि पर बना दिया है जो किसी ने आबाद नहीं की है। इस प्रकार बन्दोबस्त सन 2005 के दौरान बन्दोबस्त कर्मचारियों ने राजस्व नक्शे में वादीगण की आराजी वादग्रस्त पर खसरा नंबर 123 गलत अंकित कर दिया है जबकि ख.नंबर 123 के खातेदार का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। उसका वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है।

राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी होते ही वादीगण ने दिनांक 11.9.17 को नकल नक्शा अक्स लिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क किया व कहा कि हमारी कयशुदा आराजी पर बन्दोबस्त कर्मचारियों ने भूलवश आपकी खातेदारी का ख.नंबर 123 डाल दिया है, आप तहसील चलकर इसकी शुद्धि करा दो तो प्रतिवादी सं.1 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा धमकी दी कि मेरा नंबर तो सही पडा है, मैं तो तुम्हें वादग्रस्त आराजी से बेदखल करुंगा क्योंकि यह तो मेरी खातेदारी में बोल रही है। अब वादग्रस्त आराजी को काश्त मत करना व भला चाहते हो तो कब्जा भी छोड देना नहीं तो मैं किसी लड्‌वाले व्यक्ति को वय कर दूंगा।

प्रतिवादी सं.1 की धमकी से स्पष्ट हो गया है कि उसके मन में बेईमानी आ गयी है वह पैसे वाला प्रभावशाली व्यक्ति है सेठ है जिसके गैंगसा मशीन लगी है तथा मैरिज होम भी है। वह पैसे के दम पर वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर सकता है अथवा किसी बदमाश व्यक्ति को वय कर सकता है ऐसे हालातों में वादीगण को आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा दायर कर राजस्व नक्शे में शुद्धि करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करावें इसलिये अविलम्ब यह वाद दायर किया जा रहा है।

इस प्रकरण में न तो स्वामित्व का विवाद है और ना ही हिस्सों का विवाद है बल्कि महज नक्शे में हुई गलती को दुरुस्त कराने का प्रश्न है।

वादकरण दिनांक 24.8.17 को राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी होने तथा 11.9.17 को राजस्व नक्शे की नकल लेने व प्रति.सं.1 द्वारा वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की धमकी देने पर पैदा हुआ है।

बैंक में आराजी रहन होने के कारण तथा राजस्थान सरकार को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः निवेदन है कि राजस्व नक्शा रहटौटी पटवार क्षेत्र बीलौनी में वादीगण की आ.ख.नंबर 163 को जिस स्थान पर दर्शाया है उसे लोपित किया जाकर जिस स्थान पर ख.नं.123 अंकित है वहां पर ख.नंबर 123 के स्थान पर 163 अंकित किया जावे तथा ख.नं. 123 को विलोपित किया जावे। प्रति.सं.1 को जरिये आदेश

स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण की आराजी के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान पैदा नहीं करे ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं.1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण के हिस्से जिस प्रकार अंकित है वह स्वीकार नहीं है वादी स्वयं सिद्ध करे।

प्रथम तो वादीगण एक अजनबी केतागण है। द्वितीय उसने कहां जमीन खरीदी उसमें क्या स्थित था कुआं, छतरी, झौंपडी वगेरा ऐसा कुछ कहा नहीं है नाही वादीगण द्वारा 10-15 वर्ष पूर्व खरीदशुदा जमीन पर उनके द्वारा पेड, कुआं, छतरी, झौंपडी, चबूतरा वगेरा स्थापित कराना कहा गया है। तृतीय जो खसरा नंबर वादीगण द्वारा तत्समय मूल खातेदार से खरीदा है उसी पर कायम रहे। दूसरे की कब्जाशुदा खातेदारी की आराजी को हडपने की गलत नीयत से दावा नहीं करे। वैसे भी वादीगण अजनबी केता हैं।

ख.नंबर 77/1/1123 रकबा 15.00बीघा की कोई तरमीम नक्शे में नहीं हुई है। बन्दोबस्त विभाग का नक्शा मौके के अनुसार ही बनाया गया है। बन्दोबस्त विभाग ने कोई त्रुटि नहीं की है। वादीगण द्वारा जानबूझकर गलत नीयत से प्रतिवादी सं.1 की खातेदारी कब्जाशुदा आराजीयात ख.नं.23 को जो पूर्व से ही जहां पर स्थित है वहीं आज भी स्थित है को हडपना चाहते हैं। प्रति सं.1 ख.नं.123 के आज भी मौके पर काविज मालिक है। बन्दोबस्त विभाग ने कोई त्रुटि नहीं की है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त दिवस तारीख 11.9.17 को अथवा कभी आगे पीछे कोई वार्तालाप नहीं हुआ है। प्रतिवादी अपनी आराजीयात पर काविज होकर काश्त कर रहे हैं एवं उपयोग उपभोग कर रहा है। मौके पर प्रतिवादी ने कोई धमकी नहीं दी है ना ही देने की कोई वजह थी।

प्रति.सं.1 जहां काविज है वहीं उसके ख.नंबर का अंकन है। वादीगण को तथाकथित कोई अधिकार नहीं है। कानूनन हर खातेदार काश्तकार को अपनी खातेदारी की आराजी को हर प्रकार से उपयोग, उपभोग करने का हक, अधिकार प्राप्त होता है। बन्दोबस्त विभाग ने नक्शा मौके के अनुसार ही बनाया है। वादीगण प्रतिवादी को पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है ना ही रिकॉर्डेड खातेदार को पाबन्द किया जा सकता है।

मुख्य अनुतोष राजस्थान सरकार ही प्रदान कर सकती है जिस कारण वह आवश्यक पक्षकार है। फिर राजस्थान सरकार को ना तो आवश्यक पक्षकार कहा गया है ना ही उनके खिलाफ कोई अनुतोष मांगा ना ही कोई 80सीपीसी का नोटिस दिया। वादीगण ने जो अनुतोष वादपत्र में चाहा है व धारा 89 आर.टी.एक्ट अथवा 369 एल. आर.रूल्स की परिधि में नहीं आता जिस कारण वाद पोषणीय नहीं है।

तदुपरान्त भूमिधारी तहसीलदार सरमथुरा से रिपोर्ट चाही गई जिन्होने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि वादीगण आ.ख.नंबर 163 रकबा 3.80 हैक्टेयर वाके ग्राम रहटौटी पटवार मण्डल बीलौनी जमाबन्दी संवत 2073-2076 अनुसार खातेदार काश्तकार है। वादीगण स्वयं सिद्ध करे कि इन्होने क्रय की गई भूमि पर कब्जा लिया था अथवा नहीं। बन्दोबस्त विभाग द्वारा ख.नंबर 163 रकबा 3.80 हैक्टे.

1/2

अंकित किया है वह यथा स्थान पर किया है। किसी खसरा नंबर की नंबर अदायगी में खसरा नंबरान को छोडकर आगे नम्बर नहीं डाले हैं अर्थात खसरा नंबरान का अंकन नक्शे में लगातार किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर-1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे भू प्रबन्ध विभाग की त्रुटि स्पष्ट होती हो। वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर-1 अपने-अपने जमाबन्दी व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नम्बरान पर काश्त करते है तो सरकार में खातेदारी हित पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। प्रकरण को धारा 136 के अन्तर्गत किया जाना चाहिये था उसी धारा के अन्तर्गत किया जाना स्वीकार है। सेट्लमेण्ट से पूर्व राजस्व नक्शे में भी वादीगण व प्रतिवादी के ख.नम्बरान की तरमीम नहीं है। अतः ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे वादीगण को अनुतोष दिया जा सके। वादीगण ने किसी भी प्रकार से ऐसे दस्तावेज पेश नहीं किये गये है जिससे वाद के बिन्दु प्रमाणित होते हों।

इस प्रकार उभय पक्ष द्वारा दिये गये तथ्यों को पढा गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सरमथुरा से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। समस्त तथ्यों का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बिना की तथ्यात्मक साक्ष्य व सबूत के पेश किया गया है। वादीगण द्वारा अपने वाद में अंकित बिन्दुओं को सिद्ध करने हेतु कोई स्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। इसके अलावा वादीगण द्वारा वाद गलत धारा के अन्तर्गत पेश न्यायालय किया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं राजस्व रिकॉर्ड तथा तहसीलदार सरमथुरा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दावा वादीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज कोर्ट कैम्प में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

19/9/18

उपखण्डाधिकारी
सरमथुरा